

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, धनबाद

म० पी० केश नं० 572 / 2017

धारा 107 द.प्र.स.

आदेश की तिथि

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पत्र पर की गई कारवाई

3.4.17

डॉ. निराल कुमार बनाम महापुत्र चक्र
रजि. पी. नं. 572/17
मानव संसाधन विभाग, धाना अप्राथमिकी सं० 06/17

16/5/17
25/5/17
6/6/17
17/6/17
3/7/17
19/7/17
2/8/17
16/8/17
30/8/17

प्राप्त हुआ। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जाँच पदाधिकारी सं० अ०नि०/अ०नि० मानव संसाधन विभाग ने जाँच कर अपना प्रतिवेदन धाना प्रभारी मानव संसाधन विभाग धाना एवं अ० निरी० लोरापोरकर ने अग्रसारित किया है जिसमें उल्लेख है कि उभय पक्षों की बीच लामिन संबंध विवाद के

12/9/17
25/9/17
11/10/17
25/10/17
9/11/17
23/11/17
समाप्त

लेकर तनाव है। उभय पक्ष कानून को अपने हाथों में लेकर स्थानीय परिशांति भंग करने पर तुले हुए तथा एक दूसरे के जान-माल पर खतरा पहुँचा सकते हैं। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि पक्षों के बीच गंभीर तनाव व्याप्त है तथा इनके कार्यों से कभी भी लोक परिशांति भंग हो सकती है। पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मैं उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107 द० प्र० सं० की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को निर्देश देता हूँ कि वे मेरे न्यायालय में दिनांक 29.4.17 को 10.30 बजे पूर्वाह्न उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं लोक परिशांति बनाये रखने के लिए आपके ₹ 5000.00 रु० का दो समप्रतिभुतियों के साथ बन्धपत्र लिया जाय।

लेखापित एवं संशोधित

03/04

03/04

9/11/17 - प्रथम पल अड्डा है
 द्वितीय पल की रात्रि है।
 प्रथम पल को पारित - निर्माता
 कि 23/11/17 डेरा डेरा
 9/11/17

23/11/17 -
कालवाचित

प्रथम पल अड्डा है वार्ड निर्माता है
 द्वितीय पल की रात्रि से 118 को आदि कर्त है
 कि 23/11/17 डेरा डेरा
 कालवाचित होने से कारण बाद की
 कार्यवाही तथा निर्माण एवं कार्य निर्माण
 समाप्त की जाती है तथा वार्ड वापस
 ली जाती है।
 23/11/17